

कार्यालय      निदेशक      सैकण्डरी      शिक्षा      हरियाणा      चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक - 13/34-96- वि-1/28      दिनांक, चण्डीगढ़, 25-8-99

जैन विद्या मन्दिर हाई स्कूल, सोनीपत को दसवीं स्तर तक स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-99 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलाएँ और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 158 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
4. अध्यापकों को वेतन क्रॉस बैंक द्वारा किया जाए।
5. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 ~~अनुच्छेद~~ सभी शर्तों पूर्ण करेगा तथा उनके जो भी रुज बनाए जाएँ उनका विद्यालय पालन करेगा।
6. नियुक्तियों में आरक्षण नीति का ध्यान रहेगा।

सुरेश मित्तल,  
संयुक्त निदेशक, विद्यालय,  
कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा।

मूठठान क्रमांक-सम-

दिनांक, चण्डीगढ़, 13.9.99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके पत्र क्रमांक सा-1-97/8471 दिनांक 19-8-97 के संदर्भ में।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सिवाए सोनीपत
3. अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा, स्थानीय
4. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
5. अधीक्षक आंकड़ा, स्थानीय
6. मुख्याध्यापक, जैन विद्या मन्दिर हाई स्कूल, सोनीपत को भेजकर लिखा जाता है कि शेष प्लेज राशि मिश्रित अवधि में जमा करवाकर निदेशालय को अनुपालना रिपोर्ट भेजे।

सहायक निदेशक विद्यालय-1,  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

Rajeev